परियोजना-6

कार्यशालाओं/सम्मेलनों/गोष्ठियों/समारोहों के आयोजन की परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. प्रख्यात कलाकारों/साहित्यकारों के साथ बैठकर अपनी संस्थाओं को परिष्कृत करना ।
2 विचारों का आदान-प्रदान करना ।
3 नये प्रयास के बारे में ज्ञानवर्धन करना ।
4 प्रदेश को देश के अन्य भागों के साथ जोड़ना ।
5 प्रदेश/देश में चल रहे प्रायोजनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करना ।

2 धन राशि :

1 विभाग द्वारा आमंत्रित विद्धानों को आयोजन के एक दिन पूर्व से इसकी समाप्ति तक 30/- रुपये की जलपान राशि दी जाएगी । आवास का प्रबन्ध तथा इस पर होने वाला व्यय विभाग करेगा ।
2 यह राशि स्थानीय कलाकारों को भी दी जाएगी ।
3 बाहर से आने वाले साहित्यकारों/विद्धानों को प्रथम श्रेणी रेल अथवा डीलक्स बस के तीन किराये दिये जायेंगे ।
4 यदि आयोजनों में कोई आलेख पढ़ना हो या कोई कलाकृति तैयार की जानी हो तो उसके लिए विद्धानों को 300/- रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जायेगा ।
5 ऐसे आयोजनों में पढ़ी/सृजित की गई रचना/कृतिओं को प्रकाशन अथवा संग्रहालय में रखने के लिए विभाग को सौंप दिया जायेगा । जिन्हें निदेशक/संग्रहालयाध्यक्ष की संतुष्टि पर प्रकाशित अथवा प्रदर्शित किया जायेगा ।
6 कार्यशाला में यदि प्रशिक्षण दिया जाना होगा तो प्रत्येक प्रशिक्षक को 50/- रुपये से 100/- रुपये तक प्रति कालावधि पारिश्रमिक दिया जायेगा । 50/- रुपये उस प्रशिक्षक को दिये जायेंगे जो स्थानीय हो । 75/- रुपये उस प्रशिक्षक को मिलेंगे जो हिमाचल प्रदेश के भीतर का ही रहने वाला हो । 100/- रुपये प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रशिक्षक को दिए जायेंगे । यह धन राशि हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों को भी देय होगी ।